HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10211/2026
URN: CW / 22708U / 2026

Arati Bai Meena D/o Lakhan Lal Meena, Aged About 24 Years, Resident Of Village Jhanun, Teshil Bonli, District Sawai Madhopur (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Additional Chief Secretary, Tribal Area Department, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. The Commissioner, College Education Cum Special Principal Secretary, Higher Education, Secretariat, Jaipur.
3. The Director, Secondary Education, Rajasthan, Bikaner.
4. The Commissioner, Schedule Tribe Development Department, Udaipur.
5. The Director, College Education, Commissionerate, School Education Department, Block-4, Rks Sankul, Jln Marg, Jaipur 302015

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. G.K. Gautam Ms. Saakshi Gautam
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/07/2026

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि राज्य सरकार की ओर से ''काली बाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना'' के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की योजना चलाई जा रही है तथा इस हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा दिशा–निर्देश (परिशिष्ट–1) भी जारी किए गये है। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की वह छात्रा

जिसने 12वीं कक्षा में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वह उक्त योजना के अन्तर्गत निःशुल्क स्कूटी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उनका तर्क है कि याचिकाकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में 76 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है तथा उसने इस योजना के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन किया था, जिससे सम्बन्धित परिशिष्ट–5 में *"APPROVED BY ACEO TAD (13-1-2021) 06-22 PM* अंकित है। यचिकाकार के पत्र होने व उसके द्वारा समय पर आवेदन कर देने के उपरांत भी उसे स्कूटी वितरित नहीं की गई। उनका तर्क है कि आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.3.2023 के साथ संलग्न सूची में सवाईमाधोपुर जिले से सम्बन्धित छात्राओं की जो वरीयता सूची जारी की है, उसमें जिस छात्रा का नाम क्रमांक 2033 पर अंकित है, को भी स्कूटी दी गई है, जिसके अंक याचिकाकार से कम है, परन्तु याचिकाकार को बिना किसी कारण के स्कूटी दिए जाने से वंचित रखा गया है। उनका तर्क है कि याचिकाकार इस योजना के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

सुना गया।

आदेशिका शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर अयाचीगण को नियमानुसार नोटिस आगामी दो सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जाये।

प्रकरण के समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित अनुतोष नहीं दिया जा सकता। परिणामस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

21/JITENDRA SINGH PANWAR